

**राजस्थान विनियोग (सं. 5) विधेयक, 2016**

**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया)**

वित्तीय वर्ष 2016-2017 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम.-**इस अधिनियम का नाम राजस्थान विनियोग (सं. 5) अधिनियम, 2016 है।

**2. वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए राज्य की समेकित निधि में से 18,34,98,08,000/-रु. का दिया जाना.-**अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान, संदाय के अनुक्रम में आने वाले विभिन्न प्रभारों का चुकारा करने के लिए राज्य की समेकित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक और कुल मिलाकर मात्र **18,34,98,08,000/-रु.** (एक हजार आठ सौ चौंतीस करोड अठानवे लाख आठ हजार रुपये) की राशियां संदत्त और उपयोजित की जा सकेंगी।

**3. विनियोजन.-**इस अधिनियम द्वारा राज्य की समेकित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत की गयी राशियाँ उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जायेंगी।

**अनुसूची**  
**वर्ष 2016-2017 के लिए अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिए माँगों की अनुसूची**  
**(प्रथम संकलन)**

(देखिए धारा 2 और 3)

(रुपये सहस्र में)

सेवार्येँ और प्रयोजन	अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं हैं				योग
	दत्तमत		प्रभृत		
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी	
1					2
<b>समेकित निधि</b>					
<b>(प्रभृत व्यय)</b>					
2049-ब्याज अदायगियां	..	..	9	..	9
<b>योग</b>	..	..	9	..	9
<b>अनुदानों के लिये मांगे</b>					
<b>मांग संख्या-3</b>					
<b>(सचिवालय)</b>					
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1	..	..	..	1

	योग	1	..	..	..	1
		1		2		
<b>मांग संख्या-4</b>						
<b>(जिला प्रशासन)</b>						
2053-जिला प्रशासन		..	..	3,24	..	3,24
	योग	..	..	3,24	..	3,24
<b>मांग संख्या-6</b>						
<b>(न्याय प्रशासन)</b>						
2014-न्याय प्रशासन		..	..	6	..	6
	योग		..	6	..	6
<b>मांग संख्या-8</b>						
<b>(राजस्व)</b>						
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं		11	..	1	..	12
	योग	11	..	1	..	12
<b>मांग संख्या-13</b>						
<b>(आबकारी)</b>						
2039-राज्य उत्पाद शुल्क		..	..	32	..	32

	योग	..	..	32	..	32
1				2		
<b>मांग संख्या-14</b>						
<b>(बिक्री कर)</b>						
2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर		..	..	1,78,53	..	1,78,53
	योग	..	..	1,78,53	..	1,78,53
<b>मांग संख्या-16</b>						
<b>(पुलिस)</b>						
2055-पुलिस		8	..	56,84	..	56,92
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय		..	1	..	..	1
	योग	8	1	56,84	..	56,93
<b>मांग संख्या-19</b>						
<b>(लोक निर्माण कार्य)</b>						
2059-लोक निर्माण कार्य		..	..	1,15	..	1,15
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		..	1	..	..	1

	योग	..	1	1,15	..	1,16
1				2		

**मांग संख्या-21**

(सड़कें एवं पुल)

3054-सड़क तथा सेतु

	योग	..	..	50	..	50
	योग	..	..	50	..	50

**मांग संख्या-22**

(क्षेत्र का विकास)

2705-कमान क्षेत्र विकास

4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत  
परिव्यय

	योग	..	..	4,25	..	4,25
	योग	..	..	..	81	81
	योग	..	..	4,25	81	5,06

**मांग संख्या-23**

(श्रम और रोजगार)

2230-श्रम तथा रोजगार

	योग	..	..	2,87	..	2,87
--	-----	----	----	------	----	------

	योग	..	..	2,87	..	2,87
	1			2		

**मांग संख्या-24**

(शिक्षा, कला एवं संस्कृति)

2202-सामान्य शिक्षा	3	..	33,14	..	33,17
2203-तकनीकी शिक्षा	..	..	8,36,88	..	8,36,88
2205-कला एवं संस्कृति	..	..	20	..	20
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	..	1	..	..	1
योग	3	1	8,70,22	..	8,70,26

७

**मांग संख्या-26**

(चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और  
सफाई)

2211-परिवार कल्याण	..	..	10,00.	..	10,00
--------------------	----	----	--------	----	-------

	योग	..	..	10,00	..	10,00
1				2		
<b>मांग संख्या-27</b>						
<b>(पेय जल योजना)</b>						
4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	..	4	..	..	..	4
	योग	..	4	..	..	4
<b>मांग संख्या-29</b>						
<b>(नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास)</b>						
2217-शहरी विकास	1	..	..	..	..	1
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	..	2	..	..	..	2
	योग	1	2	..	..	3
<b>मांग संख्या-30</b>						
<b>(जनजाति क्षेत्रीय विकास)</b>						
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों	3	..	..	..	..	3

तथा अल्प संख्यकों का कल्याण					
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1	..	..	..	1
1			2		
2401-फसल कृषि-कर्म	1	..	..	..	1
2505-ग्राम रोजगार	1	..	..	..	1
2700-मुख्य सिंचाई	..	..	4,34	..	4,34
4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	..	4	..	..	4
योग	6	4	4,34	..	4,44

∞

### मांग संख्या-33

#### (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण)

2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण	..	..	25	..	25
--	----	----	----	----	----



2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2	..	..	..	2
योग	2	..	25	..	27
1			2		

**मांग संख्या-34**

(प्राकृतिक आपदाओं से राहत)

2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	18,23,28,00	..	..	..	18,23,28,00
योग	18,23,28,00	..	..	..	18,23,28,00

**मांग संख्या-35**

(विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं)

3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	1	..	..	..	1
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	..	1	..	..	1
योग	1	1	..	..	2

**मांग संख्या-37**

(कृषि)

2401-फसल कृषि-कर्म	9	..	..	..	9
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	2	..	..	..	2
योग	11	..	..	..	11
1			2		

**मांग संख्या-41**

**(सामुदायिक विकास)**

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	..	..	3,00	..	3,00
योग	..	..	3,00	..	3,00

**मांग संख्या-46**

**(सिंचाई)**

2701-मध्यम सिंचाई

4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत  
परिव्यय

2701-मध्यम सिंचाई	..	..	31,20	..	31,20
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	..	6	..	1,69	1,75
योग	..	6	31,20	1,69	32,95

**मांग संख्या-50****(ग्रामीण रोजगार)**

2505-ग्राम रोजगार	1	..	..	..	1
योग	1	..	..	..	1
1			2		

**मांग संख्या-51****(अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु****विशिष्ट संघटक योजना)**

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1	..	..	..	1
2205-ग्राम रोजगार	1	..	..	..	1
4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	..	4	..	..	4
योग	2	4	..	..	6
योग-समेकित निधि	18,23,28,47	24	11,66,87	2,50	18,34,98,08

उपर्युक्त विधेयक राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अन्तर्गत उपरोक्त विधेयक धन विधेयक है ।

दिनांक.....

अध्यक्ष।

दिनांक.....

राज्यपाल,  
राजस्थान राज्य।

## राजस्थान विधान सभा

---

वित्तीय वर्ष 2016-2017 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

---

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया)

---

पृथ्वी राज,  
सचिव।